



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ ज्येष्ठ 2, 1939

No. 396]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/ JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 494(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2016 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) “पशु बाजार” से कोई बाजार स्थल या विक्रय बाड़ा या कोई अन्य परिसर या स्थान अभिप्रेत है, जहां पर पशुओं को अन्य स्थानों से लाया जाता है और बिक्री/नीलामी के लिए प्रदर्शित किया जाता है और इसके अंतर्गत किसी बाजार या किसी वधशाला और इसके संबंध में प्रयुक्त स्थान से पार्श्वस्थ कोई मांद भी है और यानों की पार्किंग के लिए बाजार में आगन्तुकों द्वारा पार्किंग क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त बाजार के पार्श्वस्थ कोई स्थान है तथा इसके अंतर्गत पशु मेला और पशु कांजी हौज भी हैं, जहां पर पशुओं को विक्रय/नीलामी के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किया जाता है ;

(ग) “पशु बाजार समिति” से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई ऐसी समिति अभिप्रेत है, जो किसी बाजार की मरम्मत के लिए या वहां पर नियत प्रसुविधाओं की व्यवस्था के लिए और व्यापार किए जाने वाले पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(घ) “बछड़ा” से छह मास की आयु से कम का कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है ;

(ङ.) “मवेशी” से कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सांड, बैल, गाय, भैंस, बछवा, कलोर और व्याना आते हैं और जिसके अंतर्गत ऊँटिनी भी है ;

(च) “उदंड पशु” से ऐसा पशु अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्य पशुओं को क्षति कारित करना संभाव्य है ;

(छ) “निरीक्षक” से राज्य बोर्ड द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निरीक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जब पशुपालन विभाग द्वारा नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रयुक्त किया जाए, तो इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा निरीक्षक भी है ;

(ज) “कुक्कुट” से घरेलू मुर्गा, पीरू, हंस, बतख, गिनी मुर्गा के जीवित पक्षी अभिप्रेत हैं ;

(झ) “प्रतिषिद्ध व्यवसाय” से ऐसे व्यवसाय अभिप्रेत हैं, जो पशुओं के लिए अपहानिकर हैं और जो अनावश्यक पीड़ा और यातना कारक हैं ;

(‘) “पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(ट) “राज्य बोर्ड” से राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ठ) “अयोग्य” के अंतर्गत ऐसे पशु आते हैं, जो अल्पवय हैं, विकसित गर्भावस्था में, शिथिलांग, मृतक, रुग्ण, आहत या थका हुआ है, में आते हैं ;

(ड) “यान” से सड़क पर उपयोग के लिए संनिर्मित और अनुकूलित कोई यान (जिसके अंतर्गत किसी भी भांति का कोई ट्रेलर या किसी यान से विलग्न बाड़ी भी है) और जो प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पशुओं को ले जाने के लिए सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है ;

(ढ) “पशु चिकित्सा निरीक्षक” से किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक अभिप्रेत है ;

(ण) “अल्पवय पशु” से छह मास की आयु से कम का कोई पशु अभिप्रेत है ;

(त) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं ।

3. जिला पशु बाजार मानीटरी समिति का गठन- (1) यथास्थिति, जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट राज्य बोर्ड के परामर्श से जिले में पशु बाजारों के विनियमन के लिए पशु बाजार मानीटरी समिति गठित करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट -- अध्यक्ष ;

(ख) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी - सदस्य सचिव ;

(ग) अधिकारिता वाला प्रभागीय वन अधिकारी ;

(घ) अधिकारिता वाला पुलिस अधीक्षक ;

(ङ.) एसपीसीए का कोई प्रतिनिधि ;

(च) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पशु कल्याण संगठन से दो प्रतिनिधि ।

(3) समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी ।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी पशु परिरक्षण विधि के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, समिति का सदस्य बनने से प्रतिषिद्ध होगा और पशु बाजार के विनियमन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

4. पशु बाजार समिति का गठन- (1) स्थानीय प्राधिकरण, जिला कलक्टर और राज्य बोर्ड के परामर्श से जिले में पशु बाजारों के प्रबंध के लिए पशु बाजार समिति गठित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

- (क) स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष -- अध्यक्ष ;
- (ख) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी – सदस्य सचिव ;
- (ग) अधिकारिता वाला तहसीलदार – सदस्य ;
- (घ) अधिकारिता वाला वन खंड अधिकारी – सदस्य ;
- (ङ.) अधिकारिता वाला पशु चिकित्सा अधिकारी – सदस्य ;
- (च) अधिकारिता वाला पुलिस निरीक्षक – सदस्य ;
- (छ) एसपीसीए का कोई प्रतिनिधि – सदस्य ;
- (ज) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पशु कल्याण संगठन से दो प्रतिनिधि – सदस्य ।

(3) समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी ।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी मवेशी परिरक्षण विधि के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, समिति का सदस्य बनने से प्रतिषिद्ध होगा और पशु बाजार के विनियमन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(5) सदस्य सचिव इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा ।

5. विद्यमान पशु बाजारों का रजिस्ट्रीकरण- (1) स्थानीय प्राधिकरण, इन नियमों के प्रारंभ से पहले क्रियाशील पशु बाजारों की सूची बनाएगा ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पहले क्रियाशील प्रत्येक बाजार ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर जिला पशु बाजार मानीटरी समिति के पास समिति को आवेदन करके स्वयं को रजिस्टर करेंगे ।

6. नए पशु बाजारों की स्थापना- (1) जब स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पशु बाजार को स्थापित करना उचित और आवश्यक समझती है, तो वह किसी उपयुक्त स्थान की पहचान करेगी और बाजार का एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगी ।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति बाजार के ब्लू प्रिंट का अनुमोदन कर सकेगी या उसके और उपांतरण की मांग कर सकेगी या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से प्रस्ताव को नामंजूर कर सकेगी ।

(3) प्रत्येक नया बाजार रजिस्ट्रीकरण के लिए जिला पशु बाजार मानीटरी समिति को आवेदन करेगा ।

7. जिला पशु बाजार मानीटरी समिति के कृत्य--

(1) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले और बाजार को चालू करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में इन नियमों में यथा नियत सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है ।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में समुचित-

- (i) आवास ;
- (ii) आड. ;
- (iii) चारा द्रोणिकाएं, अनेक नलों और बाल्टियों सहित पानी की टंकियां ;
- (iv) प्रकाश ;
- (v) यानों के समुचित ऊंचाई तक ढलान ;
- (vi) बीमार और शिथिलांग पशुओं के लिए पृथक् बाड़े ;
- (vii) अल्पवय और गर्भवती पशुओं के लिए पृथक् बाड़े ;
- (viii) पशु चिकित्सा प्रसुविधा ;
- (ix) चारा भंडारण क्षेत्र और चारे का प्रदाय ;

- (x) जल प्रदाय ;
- (xi) शौचघर ;
- (xii) बिना फिसलन वाली फर्श ;
- (xiii) बाजार स्थल से मृत पशुओं के समुचित व्ययन की व्यवस्था ;
- (xiv) स्वच्छता, पशु बाजार स्थल से खाद और जैव अपशिष्ट के समुचित व्ययन की व्यवस्था
- (xv) घोड़ों के लोटने के लिए रेत का गड्ढा ;
- (xvi) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए पृथक् बाड़े,

हैं।

(3) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति पशु बाजार की अधिकतम जमाव क्षमता अवधारित करेगी और उसे उक्त बाजार के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) जिला पशु बाजार समिति रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो वह इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

(5) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति लेखबद्ध किए जाने वालों कारणों से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर कर सकेगी और उस दशा में पशु बाजार ऐसी नामंजूरी की तारीख से अस्तित्वहीन हो जाएगा।

(6) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर करेगी।

(7) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि व्यापारी और क्रेता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन के संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करे।

8. सीमा क्षेत्रों में पशु बाजारों के बारे में रखी जाने वाली अतिरिक्त पूर्वावधानियां -- जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि किसी भी ऐसे स्थान में पशु बाजार आयोजित नहीं किया जाए, जो किसी भी राज्य सीमा से पचास किलोमीटर के भीतर स्थित है या जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सौ किलोमीटर के भीतर स्थित है।

9. पशु बाजार के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण- यदि जिला पशु बाजार मानीटरी समिति स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई बाजार इन नियमों के उल्लंघन में क्रियाशील है, तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे बाजार के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का निदेश दे सकेगी।

10. राज्य बोर्ड की निदेश जारी करने, इत्यादि की शक्ति- (1) राज्य बोर्ड समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण और राज्य पशुपालन विभाग को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह इन नियमों की अनुपालना को सुकर बनाने के लिए ठीक समझे।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति और पशु बाजार समिति राज्य बोर्ड को बाजार के क्रियाशील होने के संबंध में सभी अभिलेख और सूचना, जब कभी उसकी अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगी और राज्य बोर्ड ऐसे अतिरिक्त अभिलेख और सूचना मांग सकेगा जो वह ठीक समझे।

11. राज्य बोर्ड इत्यादि की निरीक्षण और अभिग्रहण प्राधिकृत करने की शक्ति -- इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, जिला पशु बाजार मानीटरी समिति या राज्य पशुपालन विभाग अपने किसी अधिकारी को किसी भी पशु बाजार का निरीक्षण करने और, यथास्थिति, राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण या जिला पशु बाजार मानीटरी समिति या राज्य पशुपालन विभाग को ऐसे निरीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगी तथा इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या व्यक्ति-

(क) पशु बाजार के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) किसी भी व्यक्ति से उक्त बाजार की बाबत उसके द्वारा रखे गए किसी भी अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी पशु को अभिगृहीत कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पशुओं के साथ क्रूरता का वर्ताव किया गया है और इस प्रकार अभिगृहीत पशुओं को स्थानीय एसपीसीए या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा ;

(घ) पशुओं की क्रूरता के फोटो चित्रात्मक और वीडियो रूप में सबूत ले सकेगा।

12. पशु बाजारों में पशु चिकित्सा निरीक्षक, आदि- (1) प्रत्येक पशु बाजार में पर्याप्त संख्या में जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा प्राधिकृत पशु चिकित्सा निरीक्षक और पशु चिकित्सकों की सहायता के लिए पैरा पशु चिकित्सा कर्मचारी होंगे।

(2) पशु चिकित्सा निरीक्षक बाजार में प्रवेश करने से पहले पशुओं के मुख्य लक्षणों को देखकर संदेहास्पद सांसर्गिक और संक्रामक रोगों जैसे पैर और मुंह के रोग, कनार, हुबक, पेस्टे डेस पेटिट्स, रैंडर पेस्ट (चेचक) आदि के लिए जांच करेगा और संदेहास्पद पशुओं को बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उनका समीपतम पशु चिकित्सालय में उपचार किया जाएगा या उन्हें आवश्यक उपचार और देखरेख के लिए वापस भेज दिया जाएगा।

(3) पशु चिकित्सा निरीक्षक बाजार में पशुओं की उतराई और पहुंच को पर्यवेक्षित करेगा और उनके पहुंचने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र सभी पशुओं का निरीक्षण करेगा और ऐसे किन्हीं पशुओं के साथ समुचित व्यवहार करेगा, जो रुग्ण, बीमार या आहत हैं।

(4) पशु चिकित्सा निरीक्षक उसके समक्ष पेश किए गए परिवहन प्रलेखीकरण के विरुद्ध लड़ाई की अपेक्षित जांच करेगा।

(5) पशु चिकित्सा निरीक्षक ऐसे किन्हीं पशुओं का, पशु बाजार में पार्थक्य प्रसुविधाओं में उपचार करेगा या उपचार का पर्यवेक्षण करेगा जो रुग्ण, बीमार या आहत हैं।

(6) पशु चिकित्सा निरीक्षक पशु बाजार में सभी पशुओं की संभाल को मानीटर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं के संभाल समस्त समय पर दयालुता के साथ की जाती है।

(7) पशु चिकित्सा निरीक्षक पशु बाजार से पशुओं की लड़ाई का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पशु आशयित यात्रा के लिए योग्य हैं और उन्हें आवश्यक पशु चिकित्सा प्रमाणीकरण उपलब्ध कराएगा और ऊंटों को यानों में तब तक नहीं लादा जा सकेगा, जब तक, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर से कोई लिखित अनुज्ञा नहीं हो।

(8) पशु चिकित्सा निरीक्षक सभी निरीक्षित और उपचारित पशुओं के, जारी किए गए पशु चिकित्सा प्रमाणीकरणों की संख्या का, परिवहन के लिए अयोग्य पाए गए पशुओं की संख्या का और जब कोई पशु परिवहन के लिए अयोग्य पाया गया था तो क्या कार्रवाई की गई थी इसका, अभिलेख रखेगा।

(9) पशु चिकित्सा निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पशुओं की, जिनको अपूर्णनीय गुरुतर क्षति हो गई है या जो अन्त्य रूप से रुग्ण हैं और जिन्हें यानों पर नहीं लादा जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना देना होगा, आपात सहजमृत्यु के लिए व्यवस्था बाजार में उपलब्ध है और स्वाभाविक रूप से मरे पशुओं सहित सभी पशुओं की लाशों को भस्म कर दिया जाएगा और उनको चमड़े के लिए बेचा नहीं जाएगा या उनका चमड़ा नहीं उतारा जाएगा।

(10) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा प्राधिकृत पशु चिकित्सा निरीक्षक ऐसे पशुओं को, जो विक्रय के अयोग्य हैं, क्रय-विक्रय को रोकने के लिए चिह्नित करेंगे।

(11) पशु चिकित्सा निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पशुओं का परिवहन केवल ऐसे यानों में ही किया जाता है, जो पशु ले जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि में प्राधिकृत हैं और उनका अति लदान नहीं किया जाता है या यानों में उनको नाक से नहीं बांधा जाता है या किसी ऐसी अन्य रीति में उनको नहीं लादा जाता है, जिससे उनको क्षति हो जाए।

13. अयोग्य पशु या जन्म देने के संभाव्य पशु-- (1) कोई भी व्यक्ति किसी अयोग्य पशु को पशु बाजार में बेचे जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी पशु को पशु बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि उसका, वहां रहते हुए या उसके परिवहन के दौरान, जन्म दिया जाना संभाव्य है।

14. ऐसे प्रतिषिद्ध आचरण, जो क्रूर और अपहानिकर हैं- निम्नलिखित क्रूर और अपहानिकर आचरण प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् :--

(क) पशु पहचान पद्धतियां, जैसे तप्त छापा और शीत छापा ;

(ख) सींगों की कतरन और रंग-रोगन, घोड़ा की विशर्पिंग और भैंस के कान काटना ;

(ग) यथोचित शय्या के बिना (नालबंदी के दौरान) पशु को कठोर सतह पर गिराना ;

(घ) पशुओं के शरीर के अंगों पर किन्हीं रसायनों और रंगों का प्रयोग ;

(ङ) किसी सामग्री का प्रयोग करके थन की चूंची को बंद करना, जैसे बछड़े को दूध पीने से रोकने के लिए चिपकने वाला टेप ;

(च) उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी तरल या द्रव बलपूर्वक पिलाना, स्टेराइड या क्लोरेटिक्स या एंटी बायोटिक्स का प्रयोग करना ;

(छ) पशु पर कोई भी अप्राकृतिक कार्य करने के लिए बल प्रयोग करना, जैसे नृत्य ;

(ज) पशु को कोई आभूषण या सजावटी सामग्री पहनाना ;

(झ) पशु को दूध पीने या खाना खाने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार के छीका का प्रयोग करना ;

- (ज) दुधारु पशुओं को आक्सीटोसीन का इंजेक्शन देना ;
- (ट) नीम-हकीम/पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा पशुओं का बधियाकरण ;
- (ठ) पशु चिकित्सक से भिन्न किसी के द्वारा पहचान प्रयोजनों के लिए चाकू से या तप्त लौह चिह्नांकन द्वारा नाक छेदना या कान काटना ;
- (ड) नीम-हकीमों द्वारा घोड़ों का बधियाकरण ;
- (ढ) लिंग के चारो ओर रस्सी बांधना ;
- (ण) खाद्य द्रोणिका के रूप में नाक पर थैले बांधना ।

15. क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं का संरक्षण- (1) कोई भी व्यक्ति पशु बाजार में किसी पशु को किसी क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना नहीं देने देगा या उसके लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(2) पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु को निम्नलिखित कारण से क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना कारित नहीं की जाए या कारित किया जाना संभाव्य न हो-

- (क) पशु को मौसम में अरक्षित छोड़ना ;
- (ख) पशु के लिए उपलब्ध होने वाला संवातन अपर्याप्त होना ;
- (ग) पशु को किसी उपकरण या अन्य चीज से मारना या कोंचना ; नाथ या नकेल या लगाम को खींचना, झटकना और झकझोरना, जिससे अपार पीड़ा और यातना कारित हो या कोई अन्य कारण ;
- (घ) अयुक्तियुक्त अवधि के लिए छोटी रस्सी पर खूँटे से बांधा ;
- (ङ) प्यासा और भूखा रखना ।

16. पशुओं की संभाल करना और बांधना-- (1) कोई भी व्यक्ति पशु बाजार में किसी भी पशु के साथ निम्नलिखित नहीं करेगा,-

- (क) भारतोलन प्रयोजन के लिए, कुक्कुट से भिन्न, भूमि से ऊपर उठाना ;
- (ख) भूमि के साथ-साथ घसीटना ;
- (ग) भूमि से अलग करके उसको टांगना ;
- (घ) सिर, गर्दन, कान, सींग, टांग, पैर, पूँछ, ऊन या पंख से पकड़ना ;

(2) कोई भी व्यक्ति,-

- (क) किसी पछड़े को नहीं बांधेगा या उसे छींका नहीं लगाएगा ;
- (ख) किसी पशु को आगे की दोनों टांगों से और पांखों को इस प्रकार खूँटे से नहीं बांधेगा कि उससे पशु को एक कदम आगे या पीछे करने से रोक दे जिससे उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े होने की असुविधा से आराम मिल सके ;
- (ग) किसी पशु को सिर या गर्दन से दोनों तरफ से नहीं बांधेगा, जिससे पशु को किसी भी दिशा में अपना सिर और गर्दन हिलाने से या अपनी स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करने, जैसे मक्खियां उड़ाना या अपने शरीर के अंगों को चाटना, से रोक दिया जाए ;
- (घ) एक ही रस्सी का प्रयोग करके एक से अधिक पशुओं को बांधना ;
- (ङ.) पशुओं को खूँटे से लगाने या बांधने के लिए खरोंचदार या नुकीली सामग्री का प्रयोग, जिससे क्षतियां हो जाएं ;
- (च) किसी भी कुक्कुट को गर्दन, टांग या पंख से बांधना या कुक्कुट को उलटा लटकाकर ले जाना ।

17. पशुओं का नियंत्रण-- (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु बाजार में किसी भी पशु को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत पूँछ को मरोड़ना, कान या थूथन को मरोड़ना, डंडे, पैना या अन्य उपकरण से प्रहार नहीं करेगा, आंखों या नकेल में लाल मिर्ची या अन्य द्रव नहीं लगाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति किसी भी पशु को ऐसी भूमि या फर्श के ऊपर नहीं चलाएगा या नहीं ले जाएगा, जिसकी प्रकृति या स्थिति ऐसी हो कि पशु का फिसलना या गिर जाना संभाव्य हो ।

18. पशुओं को बाड़े या पिंजरे में बंद करना -(1) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि किसी पशु को ऐसे बाड़े में या पिंजरे में या अन्य आहाते में नहीं रखा गया है, जो उस पशु के आकार और प्रजाति के अनुपयुक्त है ।

(2) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि,-

(क) कोई ऐसा बाड़ा, जिसमें किसी ब्याने या सुअर को रखा जाता है, उसमें रखे गए सभी ब्यानों और सुअरों को लेटने, खड़े होने और घूमने तथा उसी समय सामान्य अंग स्थितिक समायोजन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त आकार का है ;

(ख) कोई ऐसा बाड़ा या आहाता, जिसमें किसी कुक्कुट को रखा जाता है-

(i) ऐसे डिजाइन का है, जिससे कुक्कुट का खड़ा होने, लेटने, पंख फैलाने, घूमने और उसकी नैसर्गिक स्थिति में सामान्य अंग स्थितिक समायोजन करने में समर्थ हो सके ;

(ii) उसमें ऐसा द्वार है, जो कुक्कुट को पिंजरे या आहाते में रखने, निकालने में कोई कष्ट दिए बिना, क्षति कारित किए बिना या अनावश्यक पीड़ा या यातना के बिना समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त आकार का है ;

(3) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार के भीतर,-

(क) जब पशुओं को बाड़े में बंद किया गया है,-

(i) एक प्रजाति के पशु, दूसरी प्रजाति के पशुओं से पृथक् बाड़े में रखे गए हैं ;

(ii) उन्हें आयु और आकार में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बाड़ों में वितरित किया गया है, जिससे उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाया जा सके ;

(iii) किसी उद्दंड पशु को अन्य पशुओं से पृथक् बाड़े, पिंजरे या आहाते में रखा गया है ;

(iv) उन्हें ऐसे बाड़ों, पिंजरों या आहातों में नहीं रखा गया है जो भीड़ भाड़ वाले हैं ;

(ख) पशुओं को-

(i) बाजार से निकल भागने से ;

(ii) बाजार में किसी भी उग्र या उद्दंड पशु के संपर्क में आने से, रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

(ग) किसी सांड को किसी अन्य पशु के लिए उसी अविभाजित बाड़े में निम्नलिखित के सिवाय नहीं रखा गया है-

(i) सांडों को उसी अविभाजित बाड़े में एक साथ रखा जा सकता है, यदि वे सभी सिर और गर्दन से सुरक्षित हैं ; या

(ii) ऐसे सांडों को, जिनको एक साथ पाला गया है, उसी अविभाजित बाड़े में रखा जा सकता है । (सिर या गर्दन से सुरक्षित किए बिना) ।

(घ) छह मास से अधिक की आयु के किसी शूकर को उसी अविभाजित बाड़े में नहीं रखा गया है जिसमें अन्य पशुओं को रखा गया है ; और

(ङ.) पशुओं और अल्पवय पशुओं को, उस स्थिति के सिवाय, जिसमें वे पशुओं के उसी समूह से उत्पन्न हुए हैं, उसी अविभाजित बाड़े में नहीं रखा गया है, जिसमें अन्य पशुओं को रखा गया है और वे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य स्थिति के हैं ।

19. पशुओं को खाना और पानी देना- (1) पशुओं के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में पशु के लिए, जितनी बार भी आवश्यकता हो, प्यास के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा की व्यवस्था की गई है ।

(2) पशु बाजार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में पशु खाद्य सामग्री विनिर्दिष्ट कीमत पर बेची गई है ।

(3) किसी ऐसे पशु के, जिसे पशु बाजार में एक दिन से आगे के लिए रखा गया है, स्वामी (या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता) का यह कर्तव्य होगा कि -

(क) उस दिन के रात्रि नौ बजे से पहले, जिसको पशु बाजार में पहुंचता है या यदि वह बाजार में रात्रि नौ बजे पहुंचता है तो उसके वहां पहुंचने पर तुरंत ; और

(ख) उसके पश्चात् प्रत्येक छह घंटे की संपूर्ण अवधि में कम से कम एक बार (उसके बाजार में पहुंचने के दिन रात्रि नौ बजे से संगणित), जिसके दौरान पशु को बाजार में रखा जाता है,

पशु के लिए स्वास्थ्यप्रद खाद्य और स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा की व्यवस्था की गई है ।

20. प्रकाश और शय्या की व्यवस्था- (1) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव और किसी पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी होने के समय किसी अन्य व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बाजार में पशु का निरीक्षण करने और उसे खाद्य और जल देने में समर्थ बनाने के लिए यथोचित प्रकाश उपलब्ध है।

(2) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव और किसी पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी होने के समय किसी अन्य व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशुओं के लिए उपयुक्त शय्या के यथोचित प्रदाय की व्यवस्था की गई है।

21. छतदार आवास- पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का पशुओं के लिए पशु बाजार में छतदार आवास उपलब्ध कराने का कर्तव्य होगा।

22. मवेशी के विक्रय पर निर्बंधन- पशु बाजार समिति का सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई व्यक्ति किसी अल्पवय पशु को पशु बाजार में नहीं लाएगा ;

(ख) कोई व्यक्ति किसी मवेशी को पशु बाजार में तब तक नहीं लाएगा, जब तक उसने पहुंचने पर मवेशी के स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा -

(i) मवेशी के स्वामी का नाम और पता बताते हुए ; फोटो पहचान सबूत की एक प्रति के साथ ;

(ii) मवेशी के पहचान के ब्यौरे देते हुए;

(iii) यह कथन करते हुए कि मवेशी को बाजार में वध हेतु विक्रय के लिए नहीं लाया गया है,

हस्ताक्षरित लिखित घोषणा नहीं दे दी हो।

(ग) पशु बाजार समिति को दी गई प्रत्येक घोषणा को उस तारीख से, जिसको यह उनको दी गई है, छह मास की अवधि के लिए रखा जाएगा और पशु बाजार समिति उस अवधि के दौरान किसी भी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षक द्वारा की गई मांग पर ऐसी घोषणा पेश करेगी तथा उसकी या उसके उद्धरण की एक प्रति लेने के लिए अनुज्ञात करेगी ;

(घ) जहां किसी पशु को बेचा गया है और उसके बाजार से ले जाने से पहले पशु बाजार समिति-

(i) प्रत्येक पशु के लिए उपगत, जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा यथा अनुमोदित खर्चे अभिप्राप्त करेगी, जिससे पशुओं और जनता को आधारभूत प्रसुविधाएं प्रदान की जा सकें ;

(ii) यह वचनबंध लेगी कि पशु को कृषि प्रयोजनों के लिए लाया गया है और वध के लिए नहीं लाया गया है ;

(iii) क्रेता के नाम और पते का अभिलेख रखेगी और उसका पहचान सबूत उपाप्त करेगी ;

(iv) सुसंगत राजस्व दस्तावेज को देखकर यह सत्यापित करेगी कि क्रेता एक कृषक है ;

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि पशु के क्रेता ने यह घोषणा की है कि वह पशु को क्रय किए जाने की तारीख से छह मास तक नहीं बेचेगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन से संबंधित नियमों का पालन करेगा ;

(vi) ऐसे अभिलेख को विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि के लिए रखेगा ;

(vii) ऐसे अभिलेख को उस अवधि के दौरान किसी भी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी या उसके उद्धरण की प्रति लेने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(ङ.) मवेशी का क्रेता-

(i) पशु को वध के प्रयोजन के लिए नहीं बेचेगा ;

(ii) राज्य मवेशी संरक्षण या परिरक्षण विधियों का अनुसरण करेगा ;

(iii) किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की बलि नहीं देगा ;

(iv) राज्य मवेशी संरक्षण या परिरक्षण विधियों के अनुसार अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को मवेशी नहीं बेचेगा।

(च) जहां किसी मवेशी को बेचा जाता है, उसके बाजार से ले जाने से पहले विक्रय का सबूत पांच प्रतियों में जारी किया जाएगा, जिसमें से पहली प्रति क्रेता को, दूसरी प्रति विक्रेता को, तीसरी प्रति क्रेता के निवास के तहसीलदार कार्यालय को, चौथी प्रति क्रेता के जिला में मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी को सौंपी जाएगी और अंतिम प्रति पशु बाजार समिति द्वारा अभिलेख में अविकल रखी जाएगी।

23. पशु बाजार समिति के अतिरिक्त कर्तव्य- पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में गुजरने के सभी रास्तों को और ऐसे सभी बाड़ों को, जिनमें पशुओं को रखा जाता है-

(क) (i) ऐसी रीति में संनिर्मित और अनुरक्षित किया गया है, जिससे पशुओं को कोई क्षति कारित होना या अनावश्यक पीड़ा या यातना होना संभाव्य नहीं हो ;

(ii) उसमें कोई ऐसे नुकिले या बाहर निकले हुए भाग नहीं हैं, जिससे पशु का संपर्क हो सके ;

(ख) पशु बाजार में पशुओं के लिए स्वास्थ्यप्रद जल का यथोचित प्रदाय उपलब्ध है ;

(ग) पशु बाजार में पशुओं को जल पिलाने के लिए द्रोणिका, बाल्टियां, पानी पीने के पात्र या पानी पीने के अन्य साधनों के रूप में यथोचित प्रसुविधाएं हैं ; और

(घ) पशु बाजार में छतदार आवास, जिसमें पशुओं को रखा जाता है, यथोचित रूप से संवातित होंगे ;

(ङ.) पशु बाजार में क्रय-विक्रय के लिए लाए गए विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की संख्या का अलग से समुचित अभिलेख रखा जाता है ।

24. अयोग्य पशुओं के लिए आवास- पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि-

(क) ऐसे उपयुक्त बाड़े उपलब्ध हैं, जिनमें किन्हीं अयोग्य पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखा जा सके ; और

(ख) ऐसा कोई भी बाड़ा, जिसमें अयोग्य पशु को रखा गया है, स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, जिससे यह दर्शित किया जा सके कि उसका प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया गया है और यह कि बाड़े में प्रवेश किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के प्राधिकार के अधीन दिए जाने तक प्रतिषिद्ध है ;

25. अयोग्य पशुओं का निरोध और उपचार- (1) जहां किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि बाजार में कोई पशु अयोग्य है, तो वह अयोग्य पशुओं के आवास के लिए पशु बाजार में उपलब्ध किसी बाड़े में या बाजार में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर उसे भेज सकेगा या भिजवा सकेगा और पशु बाजार समिति से ऐसे पशु को किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा उसकी परीक्षा किए जाने के लंबित रहने तक वहां निरुद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहां किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक की यह राय है कि पशु बाजार में कोई भी पशु अयोग्य है, तो वह उसका उपचार कर सकेगा, उपचार करवा सकेगा और ऐसे अन्य कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो वह उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे और वह किसी ऐसे प्रयोजन के लिए पशु बाजार समिति से किसी पशु को इतने समय तक के लिए किसी बाड़े में निरुद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आगे और उपचार के प्रयोजन के लिए या उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) जहां किसी पशु को इस नियम के अधीन निरुद्ध किया गया है, वहां कोई भी व्यक्ति किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के अनुमोदन के सिवाय और ऐसी शर्तों के अनुसार ले जाने के सिवाय, जिनके अध्यक्षीन अनुमोदन किया गया है, उसे उसके निरोध के स्थान से नहीं ले जाएगा ।

(4) पशु बाजार समिति-

(i) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक को ऐसी सहायता देगी जो वह इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे ;

(ii) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक को ऐसी सूचना देगी, जो वह किसी ऐसे पशु के स्वामित्व के बारे में रखती है, जिसकी बाबत ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया है ।

(5) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा किसी अयोग्य पशु के उपचार करने में या उपचार कराए जाने में इन अधिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपगत खर्चों को पशु के स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा ।

26. पशुओं का चिह्नांकन - पशु चिकित्सा निरीक्षक किसी पशु को चिह्नांकित कर सकेगा या चिह्नांकित करवा सकेगा, जिसके अंतर्गत कर्ण टैग द्वारा भी हैं किन्तु तप्त छापा, शीत छापा और अन्य क्षतिकर चिह्नांकन प्रतिषिद्ध होंगे ।

27. ढलवां रास्ते- जहां इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी भी समय पशु बाजार के रूप में उपयोग किए जाने के लिए किसी परिसर का संनिर्माण किया जाता है, वहां पशु बाजार समिति का उस पशु बाजार के लिए यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बाजार में मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े, टट्टू, गधे, खच्चर, ऊंट और सुअरों को यान में लादने या उससे उतारने के प्रयोजन के लिए प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं और यह कि उन प्रसुविधाओं में स्थायी ढलवां रास्ते और अन्य प्रसुविधाएं हैं, जो उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और यथा विनिर्दिष्ट ऊंचाई और डिजाइन के हैं ; तथा पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि कोई भी स्थायी ढलवां रास्ता या अन्य ऐसी प्रसुविधाओं में, जो इस प्रकार उपलब्ध कराई गई हैं, साइड रेलिंग फिट की हुई हैं (या संरक्षण का कोई अन्य साधन) तथा उसे इस प्रकार डिजाइन और संनिर्मित किया गया है, जिससे ऐसे पशुओं को वहां से गिरने से रोका जा सके ।

[फा.सं.1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

G.S.R. 494(E).—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 34(E), dated the 16th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th January, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th January, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In the rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (b) "animal market" means a market place or sale-yard or any other premises or place to which animals are brought from other places and exposed for sale or auction and includes any lairage adjoining a market or a slaughterhouse and used in connection with it and any place adjoining a market used as a parking area by visitors to the market for parking vehicles and includes animal fair and cattle pound where animals are offered or displayed for sale or auction;
- (c) "Animal Market Committee" means the committee constituted under these rules which shall be responsible for the upkeep of a market or for the provision of fixed facilities there and for ensuring the welfare of the animals being traded;
- (d) "calf" means a bovine animal under the age of six months;
- (e) "cattle" means a bovine animal including bulls, bullocks, cows, buffalos, steers, heifers and calves and includes camels;
- (f) "fractious animal" means an animal that is likely to cause injury to other animals;
- (g) "Inspector" means a person authorised as an inspector by the State Board or by a local authority or when used in relation to a person appointed by the Animal Husbandry Department, includes a veterinary inspector;
- (h) "Poultry" means live birds of domestic fowls, turkeys, geese, ducks and guinea-fowls;
- (i) "prohibited practices" means practices that are harmful to animals and that cause unnecessary pain or suffering;
- (j) "Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules 2001 made under the Act;
- (k) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government;
- (l) "unfit" includes animals who are young, in advanced pregnancy, infirm, diseased, ill, injured or fatigued;

- (m) “vehicle” means any vehicle (including a trailer of any description and the detachable body of a vehicle) constructed or adapted for use on a road, and duly registered to carry animals in compliance with the law in force;
- (n) “veterinary inspector” means a registered veterinarian authorised by the local authority;
- (o) “young animal” means any animal below the age of six months;
- (p) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of District Animal Market Monitoring Committee.— (1) The District Collector or District Magistrate, as the case may be, in consultation with the State Board, constitute Animal Market Monitoring Committee for regulation of animal markets in the district.

- (2) The Committee referred to in sub-rule (1) shall consist of the following members, namely:-
 - (a) District Collector or District Magistrate – Chairman;
 - (b) Chief Veterinary Officer – Member Secretary;
 - (c) Jurisdictional Divisional Forest Officer;
 - (d) Jurisdictional Superintendent of Police;
 - (e) a representative of the SPCA;
 - (f) two representatives from Animal Welfare Organisation recognised by the Board and as approved by the State Government.

(3) Four members shall form the quorum for the meeting of the Committee.

(4) A person who has been convicted under the Act or any cattle preservation law made by a State Government shall be prohibited from being the member of the Committee and shall not be involved in the regulation of the animal market.

4. Constitution of Animal Market Committee.— The local authority shall, in consultation with the District Magistrate and the State Board, constitute Animal Market Committee for the management of animal markets in the district.

- (2) The Committee referred to in sub-rule (1) shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Chairman of local authority - Chairman;
 - (b) Chief Municipal Officer or Chief Officer of local authority - Member Secretary;
 - (c) Jurisdictional Tahasildar-Member;
 - (d) Jurisdictional Forest Range Officer-Member;
 - (e) Jurisdictional Veterinary Officer-Member;
 - (f) Jurisdictional Police Inspector-Member;
 - (g) a representative of the SPCA-Member;
 - (h) two representatives from Animal Welfare Organisation recognised by the Board and as approved by the State Government-Members.

(3) Five members shall form the quorum for the meeting of the Committee.

(4) A person who has been convicted under the Act or any cattle preservation law made by a State Government shall be prohibited from being a member of the Committee and shall not be involved in the management of the animal market.

(5) The Member Secretary shall ensure the compliance of these rules.

5. Registration of existing animal markets.—(1) The local authority shall make a list of animal markets functional prior to the commencement of these rules.

(2) Every animal market functional prior to the commencement of these rules shall within three months from the date of such commencement register themselves with the District Animal Market Monitoring Committee by making an application to the Committee.

6. **Establishment of new animal markets.**—(1) When the local authority considers fit and necessary to establish an animal market within its jurisdiction, it shall identify a suitable location and develop a blueprint of the animal market.

(2) The District Animal Market Monitoring Committee may approve the blueprint of the animal market or seek further modification or reject the proposal for reasons to be recorded in writing.

(3) Every new animal market shall apply for registration to the District Animal Market Monitoring Committee.

7. **Functions of District Animal Market Monitoring Committee.**—

(1) The District Animal Market Monitoring Committee before granting registration shall ensure that all requirements as stipulated in these rules are fulfilled in the animal market.

(2) The District Animal Market Monitoring Committee shall ensure that the animal market has adequate—

(i) housing;

(ii) shade;

(iii) feeding troughs, water tanks with multiple taps and buckets;

(iv) lighting;

(v) ramps at the appropriate height of vehicles;

(vi) separate enclosures for sick and infirm animals;

(vii) separate enclosures for young and pregnant animals;

(viii) veterinary facility;

(ix) feed storage area and feed supply;

(x) water supply;

(xi) toilets;

(xii) non-slippery flooring;

(xiii) provisions for proper disposal of dead animals from the animal market site;

(xiv) provisions to ensure hygiene, proper disposal of manure and bio-waste from animal market site;

(xv) sand pits for rolling of equines;

(xvi) separate enclosures for different species of animals.

(3) The District Animal Market Monitoring Committee shall determine the maximum holding capacity of the animal market and that shall be displayed in a prominent place in the said market.

(4) The District Animal Market Monitoring Committee, while granting registration, may impose such conditions as it deems fit to ensure compliance of these rules.

(5) The District Animal Market Monitoring Committee may, for reasons to be recorded in writing, reject an application for registration, and in that case the animal market shall cease to exist from the date of such rejection.

(6) The District Animal Market Monitoring shall dispose of the application for registration within one month from the date of filing the application.

(7) The District Animal Market Monitoring Committee shall ensure that the traders and purchasers abide by the rules relating to transport of animals made under the Act or any other law for the time being in force.

8. **Additional precaution to be taken regarding animal markets in border area.**— The District Animal Market Monitoring Committee shall take steps to ensure that no animal market is organised in a place which is situated within twenty-five kilometers from any State border or which is situated within fifty kilometers from any international border.

9. Cancellation of registration of animal market.— If the District Animal Market Monitoring Committee, suo moto or on receipt of a complaint, comes to the conclusion that an animal market is functioning in contravention of these rules, it may direct the cancellation of registration of such market after giving reasonable opportunity of being heard.

10. Powers of State Board to issue directions, etc.—(1) The State Board may from time to time give such directions to the local authority and the District Animal Market Monitoring Committee as it may deem fit to facilitate compliance with these rules.

(2) The District Animal Market Monitoring Committee and Animal Market Committee shall provide all records and information pertaining to the functioning of animal market to the State Board as and when it is required and the State Board may call for additional records and information as it deems fit.

11. Powers of State Board, etc. to authorise inspection and seizure.— For the purpose of ensuring compliance with these rules, the State Board, local authority, District Animal Market Monitoring Committee or State Animal Husbandry Department may authorise any of its officers in writing to inspect any animal market, and report to the State Board, local authority, District Animal Market Monitoring Committee or State Animal Husbandry Department, as the case may be, the result of such inspection, and any officer so authorised may –

- (a) enter at reasonable time to inspect the animal market;
- (b) require any person to produce any record kept by him with respect to the said market;
- (c) seize any animal if he has reason to believe that the animals are being treated cruelly and the animals so seized shall be kept in the custody of the local SPCA or an animal welfare organization recognised by the Board;
- (d) take photographic and video proof of cruelty to animals.

12. Veterinary inspectors, etc. at animal markets.—(1) Every animal market shall have adequate number of veterinary inspectors and para-veterinary staff to assist the veterinary inspectors authorised by the District Animal Market Monitoring Committee.

(2) The veterinary inspector shall screen the animals before entering the animal market, for suspected contagious and infectious diseases such as Foot and Mouth Disease, Glanders, Strangles, Peste des petits, Rinder Pest, etc. by looking for the cardinal symptoms and the suspected animals shall not be allowed to enter the market area and shall be treated at the nearest veterinary hospital or sent back for necessary treatment and care.

(3) The veterinary inspector shall supervise the unloading and arrival of animals at the animal market and inspect all animals as soon as practical after their arrival and deal appropriately with any animals that are ill, sick or injured.

(4) The veterinary inspector shall make the required checks of the load against the transport documentation produced before him.

(5) The veterinary inspector shall treat or supervise the treatment of any animals that are ill, sick or injured in the isolation facilities in the animal market.

(6) The veterinary inspector shall monitor the handling of all animals in the animal market and ensure that animals are handled humanely at all times.

(7) The veterinary inspector shall supervise the loading of animals from the animal market and ensure that all animals are fit for the intended journey and provide the necessary veterinary certification and the camels may not be loaded in vehicles unless there is a written permission from the District Magistrate or District Collector, as the case may be.

(8) The veterinary inspector shall maintain records of all animals inspected, treated, number of veterinary clarifications issued, number of animals found unfit for transport and what actions was initiated when an animal was found unfit for transport.

(9) The veterinary inspector shall ensure that the provision for emergency euthanasia of animals that have irreparable severe injury or are terminally ill and cannot be uploaded on vehicles because to do so would cause

unnecessary pain or suffering, are available in a market and that all carcasses including those of naturally died animals shall be incinerated, and shall not be sold or flayed for leather.

(10) Veterinary inspectors authorised by the District Animal Market Monitoring Committee shall mark the animals that are unfit for sale to prevent trading.

(11) The veterinary inspectors shall ensure that the animals are transported only in vehicles that are authorised in law for the time being in force to carry animals and that they are not overloaded or tied by their noses in the vehicles or loaded in any other way that may cause injury.

13. Unfit animals and animals likely to give birth.—(1) No person shall permit an unfit animal to be sold in an animal market.

(2) No person shall permit an animal to be offered or displayed for sale in an animal market if it is likely to give birth while it is there or during its transportation.

14. Prohibited practices that are cruel and harmful.— The following cruel and harmful practices shall be prohibited, namely:-

- (a) animal identification methods such as hot branding and cold branding;
- (b) shearing and painting of horns, bishoping in horses and ear cutting in buffaloes;
- (c) casting animals on hard ground without adequate bedding (during farriery);
- (d) use of any chemicals or colors on body parts of animals;
- (e) sealing teats of the udder using any material such as adhesive tapes to prevent the calf from suckling;
- (f) any person forcefully drenching any fluids or liquids or using steroids or diuretics or anti-biotics, other than by a veterinarian for the purpose of treatment;
- (g) forcing animals to perform any unnatural acts, such as dancing;
- (h) putting any ornaments or decorative materials on animals;
- (i) use of any type of muzzle to prevent animals from suckling or eating food;
- (j) injecting Oxytocin into milch animals;
- (k) castration of animals by quacks or traditional healers;
- (l) nose-cutting or ear slitting or cutting by knife or hot iron marking for identification purposes other than by veterinarian;
- (m) castration of equines by quacks;
- (n) tying rope around penis;
- (o) tying nose bags as feeding troughs.

15. Protection of animals from injury or unnecessary pain or suffering.—(1) No person shall cause or permit any injury or unnecessary pain or suffering to an animal in an animal market.

(2) It shall be the duty of the person in charge of an animal in an animal market to ensure that the animal is not, or is not likely to be, caused injury or unnecessary pain or suffering by reason of—

- (a) the animal being exposed to the weather;
- (b) inadequate ventilation being available for the animal;
- (c) the animal being hit or prodded by any instrument or other thing; nose ropes or nose pegs or bits are pulled, yanked and jerked, causing immeasurable pain and suffering or any other cause;
- (d) being tethered on a short rope for an unreasonable period;
- (e) thirst or starvation.

16. Handling and tying of animals.—(1) No person shall handle an animal in an animal market by—

- (a) lifting it off the ground, other than poultry for weighing propose;
- (b) dragging it along the ground;
- (c) suspending it clear of the ground;
- (d) head, neck, ears, horns, legs, feet, tail, fleece or wing.
- (2) No person shall—
 - (a) tie up or muzzle any calf;
 - (b) tether an animal by both forelegs and hindlegs in such a way that it will prevent the animal from taking a step forward or backward to ease the discomfort of standing at one place for long hours;
 - (c) tie an animal by head or neck from both the sides which will prevent the animal from moving its head and neck in any direction or attending the self needs such as driving away flies or licking body parts;
 - (d) tie more than one animal using one single rope;
 - (e) use abrasive or sharp materials to tether or tie the animals that may cause injuries;
 - (f) tie any poultry by neck, leg or wing or carry poultry upside down.

17. Control of animals.—(1) No person shall use excessive force to control any animal in an animal market, including but not limited to twisting or breaking of tail, twisting the ear or muzzle hitting with stick, goad or other instrument, rubbing chilly or any other substance in the eyes, nose rings.

(2) No person shall drive or lead any animal over any ground or floor, the nature or condition of which is likely to cause the animal to slip or fall.

18. Penning and caging of animals.—(1) It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee to ensure that no animal is kept in a pen, cage or other enclosures, which is unsuitable for the size and species of that animal.

- (2) It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee to ensure that—
 - (a) any pen in which any calves or pigs are kept is of sufficient size to enable all the calves or pigs kept in it to lie down, stand up, and turn around and make normal postural adjustments at the same time;
 - (b) any cage or enclosure in which any poultry are kept—
 - (i) is of such a design as to enable the poultry to stand, lie down, spread wings and turn around and make normal postural adjustment in their natural position;
 - (ii) has a door which is of sufficient size to enable the poultry to be placed in, and removed from, the cage or enclosure without being caused any discomfort, injury or unnecessary pain or suffering.

(3) It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee to ensure that, within the animal market,—

- (a) when animals are penned,—
 - (i) those of one species are kept in separate pens from animals of another species;
 - (ii) they are distributed within the pens, having regard to differences in age and size, so as to avoid unnecessary pain or suffering to them;
 - (iii) any fractious animal is kept in a separate pen, cage or enclosure from other animals;
 - (iv) they are not kept in pens, cages or enclosures which are overcrowded;
- (b) adequate provision is made to prevent animals from—
 - (i) escaping from the market;

- (ii) coming into contact with any aggressive or fractious animals in the market;
- (c) a bull is not kept in the same undivided pen as any other animal except that the —
 - (i) bulls may be kept together in the same undivided pen if they are all secured by the head or neck; or
 - (ii) bulls which have been reared together may be kept together in the same undivided pen (without being secured by the head or neck);
- (d) a boar over the age of six months is not kept in the same undivided pen as any other animal; and
- (e) animals and young animals are not kept in the same undivided pen as any other animals, except where they originate from the same group of animals and are of a mutually acceptable disposition.

19. Feeding and watering of animals.—(1) It shall be the duty of the person in charge of an animal to ensure that the animal in an animal market is provided with an adequate quantity of wholesome water as often as is necessary to prevent it suffering from thirst.

(2) The Animal Market Committee shall ensure that animal feed is sold at an animal market at a specified price.

(3) It shall be the duty of the owner (or his duly authorised agent) of an animal which is kept in an animal market from one day to the next to ensure that the animal is provided with an adequate quantity of wholesome food and wholesome water—

- (a) before 9 p.m. on the day on which the animal arrives at the market or, if it arrives at the market after 9 p.m., immediately on its arrival there; and
- (b) thereafter at least once in each complete period of six hours (calculated from 9 p.m. on the day of its arrival at the market) during which the animal is kept in the market.

20. Provision of lighting and bedding.—(1) It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee and other person for the time being in charge of an animal in an animal market to ensure that adequate lighting is available to enable animals kept in the market to be inspected and to be fed and watered.

(2) It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee and other person for the time being in charge of an animal in an animal market to ensure that an adequate supply of suitable bedding is provided for animals.

21. Covered accommodation.— It shall be the duty of Member Secretary of the Animal Market Committee to provide covered accommodation in the animal market for animals.

22. Restrictions on sale of cattle.— The Member Secretary of the Animal Market Committee shall ensure that—

- (a) no person shall bring to an animal market a young animal;
- (b) no person shall bring a cattle to an animal market unless upon arrival he has furnished a written declaration signed by the owner of the cattle or his duly authorised agent—
 - (i) stating the name and address of the owner of the cattle, with a copy of the photo identification proof ;
 - (ii) giving details of the identification of the cattle;
 - (iii) stating that the cattle has not been brought to market for sale for slaughter;
- (c) every declaration furnished to the Animal Market Committee shall be retained by it for a period of six months from the date on which it is furnished to them and the Animal Market Committee shall, on demand made by an Inspector at any reasonable time during that period, produce such declaration and allow a copy of it or an extract from it to be taken;
- (d) where an animal has been sold and before its removal from the animal market, the Animal Market Committee shall—

- (i) obtain the expenses incurred for each animal, as approved by the District Animal Market Monitoring Committee, so as to provide the basic facilities for animals and people;
- (ii) take an undertaking that the animals are bought for agriculture purposes and not for slaughter;
- (iii) keep a record of name and address of the purchaser and procure his identity proof;
- (iv) verify that the purchaser is an agriculturist by seeing the relevant revenue document;
- (v) ensure that the purchaser of the animal gives a declaration that he shall not sell the animal up to six months from the date of purchase and shall abide by the rules relating to transport of animals made under the Act or any other law for the time being in force;
- (vi) retain such record for a period of six months from the date of sale;
- (vii) produce such record before an Inspector on demand being made by him at any reasonable time during that period and allow a copy of it or an extract from it to be taken;
- (e) the purchaser of the cattle shall –
 - (i) not sell the animal for purpose of slaughter;
 - (ii) follow the State cattle protection or preservation laws;
 - (iii) not sacrifice the animal for any religious purpose;
 - (iv) not sell the cattle to a person outside the State without the permission as per the State cattle protection or preservation laws;
- (f) where a cattle has been sold and before its removal from the animal market, the proof of sale shall be issued in five copies, out of which first copy shall be handed over to purchaser, second copy to seller, third copy to tehsil office of the residence of purchaser, fourth copy to the Chief Veterinary Officer in the district of purchaser and last copy to be kept intact in the record by the Animal Market Committee.

23. Additional duties of Animal Market Committee.—It shall be the duty of the Animal Market Committee to ensure that—

- (a) all passageways in the animal market and all pens in which animals are kept—
 - (i) are constructed and maintained in a manner which is not likely to cause injury or unnecessary pain or suffering to animals;
 - (ii) are free from any sharp edges or projections with which animals may come into contact;
- (b) an animal market has an adequate supply of wholesome water available for animals;
- (c) an animal market has adequate facilities in the form of troughs, buckets, drinking bowls or other drinking devices available for watering animals; and
- (d) the covered accommodation in the animal market in which animals are kept shall be adequately ventilated;
- (e) proper record of the number of animals of each species separately brought for trading at the animal market are kept.

24. Accommodation for unfit animals.— It shall be the duty of the Animal Market Committee to ensure that—

- (a) suitable pens are available in which any unfit animals may be separated from other animals; and
- (b) any such pen in which an unfit animal is being kept is clearly marked so as to show that it is being used for this purpose and that entry into the pen is prohibited unless under the authority of a veterinary inspector.

25. Detention and treatment of unfit animals.—(1) Where a veterinary inspector has reasonable grounds for believing that any animal in an animal market is unfit, he may move it, or cause it to be moved, to a pen provided in the market for the accommodation of unfit animals or to any other suitable place in the market and require the Animal Market Committee to detain the animal there pending its examination by a veterinary inspector.

(2) Where a veterinary inspector is of the opinion that any animal in an animal market is unfit, he may treat it, or cause it to be treated, and take, or cause to be taken, any other steps that he considers necessary to protect it from unnecessary pain or suffering, and he may for any such purpose require the Animal Market Committee to detain the animal in a pen for as long as he considers necessary for the purpose of further treatment or otherwise protecting it from unnecessary pain or suffering.

(3) Where an animal is being detained under this rule, no person shall move it from its place of detention except with the approval of a veterinary inspector and in accordance with any conditions subject to which the approval is given.

(4) The Animal Market Committee shall—

- (i) render such assistance to a veterinary inspector as he may require for the purpose of facilitating the exercise of his powers under these rules;
- (ii) give to a veterinary inspector such information as it possesses as to the ownership of any animal in respect of which any such power is exercised.

(5) Expenses incurred by a veterinary inspector in treating, or causing to be treated, an unfit animal in exercise of the powers conferred on him by these rules shall be borne by the owner of the animal.

26. Marking of animals.— The veterinary inspector may mark, or cause to be marked, any animal including by ear tags but not branding, cold branding and other injurious marking shall be prohibited.

27. Ramps.—Where, at any time after the coming into force of these rules, any premises are constructed for use as an animal market, it shall be the duty of the Animal Market Committee for that market to ensure that facilities are provided in the market for the purpose of loading and unloading cattle, sheep, goats, horses, ponies, donkeys, mules, camels and pigs into and out of vehicles and that those facilities consist of fixed ramps or other facilities which are of a height and design suitable and as specified for that purpose; and it shall be the duty of the Animal Market Committee to ensure that any fixed ramp or other facilities which are so provided are fitted with side railings (or some other means of protection) designed and constructed so as to prevent such animals from falling off them.

[F. No. 1/1/2016-AWD]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 495(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2016 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) “पशु कल्याण संगठन” से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संगठन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाए गए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की

स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी है ;

(ग) “मवेशी” से कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सांड, गाय, भैंस, बछवा, कलोर और ब्याना आते हैं और जिसके अंतर्गत ऊटिनी भी है ;

(घ) “पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(ङ.) “राज्य बोर्ड” से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) “यान” से सड़क पर उपयोग के लिए संनिर्मित या अनुकूलित कोई यान (जिसके अंतर्गत किसी भी भांति का कोई ट्रेलर या किसी यान से विलग्न बाड़ी भी है) अभिप्रेत है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं ।

3. मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशुओं की अभिरक्षा – जब किसी पशु का अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अभिग्रहण किया जाता है, तो-

(क) पशु को अभिगृहीत करने वाला प्राधिकारी, ऐसे पशु के स्वास्थ्य निरीक्षण, पहचान और चिह्नांकन को उस क्षेत्र के सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल में तैनात अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करेगा और चिह्नांकन कर्ण टैग द्वारा या चिप द्वारा या कम कष्टप्रद किसी विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकेगा किन्तु तप्त छाप, शीत छाप या किसी अन्य हानिकारक छाप द्वारा चिह्नांकन प्रतिषिद्ध होगा ;

(ख) मजिस्ट्रेट मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला में रखने का निदेश दे सकेगा ।

4. मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशु की देखरेख और रखने की लागत- (1) राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस मास के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ऐसे पशु की, जो राज्य में सामान्यतः अभिगृहीत किए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रतिदिन परिवहन, भरणपोषण और उपचार की लागत विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों को, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत पशुओं के परिवहन, भरणपोषण, उपचार के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों के रूप में उपयोग करेगा ।

(3) उस दशा में जब विचाराधीन पशु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दर सूची पर नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट पशुओं के परिवहन, उपचार और भरणपोषण की लागत, अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नियत करेगा ।

5. बंधपत्र का निष्पादन- (1) मजिस्ट्रेट, पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, या गोशाला को अभिरक्षा सौंपते समय वह रकम अवधारित करेगा जो अधिकारिता वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पशु के परिवहन, भरणपोषण और उपचार के लिए उपगत या उपगत की जाने के लिए प्रत्याशित समस्त युक्तियुक्त लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और अभियुक्त तथा स्वामी को अवधारित मूल्य का बंधपत्र प्रतिभुओं सहित तीन दिन के भीतर निष्पादित करने का निदेश देगा और यदि अभियुक्त तथा स्वामी बंधपत्र निष्पादित नहीं करते हैं तो पशु, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, गोशाला को समपहृत हो जाएगा ।

(2) पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पाक्षिक आधार पर बंधपत्र से पशु की अभिरक्षा प्राप्त करने की तारीख से उसके अंतिम व्ययन की तारीख तक पशु की देखरेख में उपगत वास्तविक युक्तियुक्त लागत का आहरण कर सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट, अभियुक्त और स्वामी से प्रारंभिक बंधपत्र की रकम का अस्सी प्रतिशत पशु की देखरेख की लागत में खर्च हो जाने पर प्रतिभुओं सहित अतिरिक्त बंधपत्र निष्पादित करने की मांग करेगा ।

(4) जहां अपराध में कोई यान अंतर्बर्लित है वहां मजिस्ट्रेट यान को प्रतिभुओं के रूप में रखने का निदेश देगा ।

(5) पशु को परिवहन से संबंधित अपराध की दशा में यान का स्वामी, परेषक, परेषिती, परिवाहक, अभिकर्ता और सभी अन्य सम्मिलित पक्षकार संयुक्ततः और पृथक्तः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(6) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व किसी निगमित निकाय के पास है, वहां निगमित निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष या उच्चतम रैंक का कर्मचारी, निगमित निकाय और अभियुक्त संयुक्ततः और पृथक्तः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(7) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व सरकार के पास है वहां विभागाध्यक्ष और अभियुक्त संयुक्ततः और पृथक्तः पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे।

(8) यदि स्वामी और अभियुक्त के पास बंधपत्र देने के साधन नहीं हैं तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने और उसे भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने का निदेश देगा।

6. परित्यक्त पशु- (1) उस दशा में जहां अन्वेषक अधिकारी यह रिपोर्ट फाइल करता है कि प्रथम दृष्टया अधिनियम के अधीन अपराध पाया गया है किंतु वह अभियुक्त या पशु के स्वामी का अवधारण करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने का निदेश देगा और यह समझा जाएगा कि स्वामी ने पशु के स्वामित्व का त्याग कर दिया है।

(2) स्वामित्व का त्याग अज्ञात अपराधी या स्वामी के विरुद्ध किन्हीं दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा।

7. स्वैच्छिक त्याग- इस नियम की किसी बात का अर्थ ऐसे स्वामी द्वारा, जो अभियुक्त है, किसी पशु को बंधपत्र के निष्पादन के बदले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए पशु कल्याण संगठन या गोशाला को स्वैच्छिक और स्थायी त्याग करने से रोकना नहीं होगा किंतु स्वैच्छिक और स्थायी त्याग, अभियुक्त या स्वामी के विरुद्ध किन्हीं दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा।

8. मुकदमें के निपटारे पर पशु की प्रास्थिति- (1) यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है या वह दोषी होने का अभिवाक करता है तो मजिस्ट्रेट उसे पशुओं के स्वामित्व से वंचित कर देगा और अभिगृहीत पशु को पहले से ही अभिरक्षा रखने वाले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को उचित दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन के लिए समपहृत कर देगा।

(2) यदि अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाया जाता है तो अभिगृहीत पशु अभियुक्त या स्वामी को लौटा दिया जाएगा तथा निष्पादित किसी बंधपत्र की रकम का अप्रयुक्त भाग उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा, जिसने बंधपत्र निष्पादित किया था।

9. दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन की प्रक्रिया- (1) मुकदमे के दौरान या मुकदमें के पश्चात् पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उसकी अभिरक्षा में के पशु को सहज मृत्यु दे सकेगा।

(2) जहां पशु को, यथास्थिति, दोषसिद्धि, परित्याग या स्वैच्छिक त्याग के पश्चात् रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को समपहृत कर दिया गया है वहां पशु को दत्तक ग्रहण के लिए रख दिया जाएगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी मवेशी परिरक्षण विधि के अधीन आरोपित है, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला से पशु को दत्तक ग्रहण में लेने से प्रतिषिद्ध होगा।

(4) रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु को दत्तक ग्रहण में देने से पहले,-

(क) मवेशी की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशु को दत्तक ग्रहण में कृषि प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है और सुसंगत राजस्व दस्तावेज देखकर यह सत्यापित करेगा कि पशु का दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति एक कृषक है।

(ख) भार ढोने वाले और लद्दू पशुओं की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशुओं को दत्तक ग्रहण में भार ढोने और लादने के प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है।

(ग) कुत्तों और बिल्लियों की दशा में यह सुनिश्चित करेगा कि दत्तक ग्रहण में देने से पहले पशु को अंडाशय उच्छेदित और नपुंसक कर दिया गया है।

(घ) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का नाम और पते का अभिलेख रखेगा और पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का पहचान का सबूत और पते का सबूत उपाप्त करेगा।

(ङ.) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र के रूप में यह घोषणा अभिप्राप्त करेगा कि वह पशु का दत्तक ग्रहण की तारीख से छह मास तक अन्य संक्रामण नहीं करेगा और उसके परिवहन के लिए अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विरचित नियमों का पालन करेगा और पशु की नियमित पशु चिकित्सा जांच करवाएगा।

(5) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति-

(क) पशु को नहीं बेचेगा;

(ख) पशु का परित्याग नहीं करेगा;

(ग) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि का अनुसरण करेगा;

(घ) किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की बलि नहीं देगा;

(ङ.) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि के अनुसार अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को मवेशी को नहीं बेचेगा।

(6) जहां किसी मवेशी या किसी भार ढोने वाले और लद्दू पशु को दत्तक ग्रहण में लिया गया है वहां रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला के परिसरों से उसको ले जाए जाने से पहले पांच प्रतियों में दत्तक ग्रहण का सबूत जारी करेगा जिसमें से पहली प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को, दूसरी प्रति, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को, तीसरी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के निवास के तहसील कार्यालय को, चौथी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के जिला कार्यालय को दी जाएगी तथा अंतिम प्रति केस फाइल में फाइल किए जाने के लिए न्यायालय को भेज दी जाएगी।

(7) पशु का दत्तक ग्रहण, पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को अप्रतिसंहरणीय अधिकार नहीं देगा और, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला समय समय पर पशु का निरीक्षण कर सकेगा तथा यह पाए जाने की दशा में कि वह व्यक्ति जिसने पशु को दत्तक ग्रहण में लिया था, पर्याप्त देखरेख नहीं कर रहा है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या किसी पशु परिरक्षण विधि के अधीन अपराध किया जाना प्रत्याशित है तो, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु का कब्जे में ले लेंगे।

(8) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति पशु का केवल विधिपूर्ण संरक्षक होगा और उसे ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो पशु के स्वामी को साधारणतया प्रदान किए जाते हैं किंतु उसका ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिए जाने के निवारण के लिए सभी उत्तरदायी उपाय करने का कर्तव्य होगा।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

G.S.R.495(E).—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 35(E), dated the 16th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), the 16th January, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th January, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) "Animal Welfare Organisation" means an organisation recognised by the Animal Welfare Board of India and includes a Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(c) "cattle" means a bovine animal including bulls, cows, buffalos, steers, heifers and calves and includes camels;

(d) "Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(e) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government;

(f) "vehicle" means any vehicle (including a trailer of any description and the detachable body of a vehicle) constructed or adapted for use on a road;

- (g) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Custody of animals pending litigation.**— When an animal has been seized under the provision of the Act or the rules made thereunder—

(a) the authority seizing the animal shall ensure health inspection, identification and marking such animal, through the jurisdictional veterinary officer deployed at Government Veterinary Hospital of the area and marking may be done by ear tagging or by chipping or by any less irksome advance technology but marking by hot branding, cold branding and other injurious marking shall be prohibited;

(b) the magistrate may direct the animal to be housed at an infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala during the pendency of the litigation.

4. **Cost of care and keeping of animal pending litigation.**— (1) The State Board shall within three months from the date of commencement of these rules and thereafter on the 1st day of April every year, specify the cost of transport, maintenance and treatment per day for every species of animal that is commonly seized in the State.

(2) The magistrate shall use the rates specified by the State Board as the minimum specified rates for transport, maintenance and treatment of the seized animals under sub-section (4) of section 35 of the Act.

(3) In case the animal under consideration is not on the rate sheet specified by the State Board, the magistrate shall fix the cost of transport, treatment and maintenance of the animal based on the input provided by the jurisdictional veterinary officer.

5. **Execution of bond.**— (1) The magistrate when handing over the custody of animal to an infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala shall determine an amount which is sufficient to cover all reasonable cost incurred and anticipated to be incurred for transport, maintenance and treatment of the animal based on the input provided by the jurisdictional veterinary officer and shall direct the accused and the owner to execute a bond of the determined value with sureties within three days and if the accused and owner do not execute the bond, the animal shall be forfeited to infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala.

(2) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala having the custody of the animal may draw on from the bond on a fortnightly basis the actual reasonable cost incurred in caring for the animal from the date it received custody till the date of final disposal of the animal.

(3) The magistrate shall call for the accused and the owner to execute additional bond with sureties once eighty per cent. of the initial bond amount has been exhausted as cost for caring for the animal.

(4) Where a vehicle has been involved in an offence, the magistrate shall direct that the vehicle be held as a security.

(5) In case of offence relating to transport of animals, the vehicle owner, consignor, consignee, transporter, agents and any other parties involved shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of animals.

(6) In cases where a body corporate owns the animal, the Chief Executive Officer, President or highest-ranking employee of the body corporate, the body corporate and the accused shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of the animal.

(7) In cases where the Government owns the animal, the Head of the Department and the accused shall be jointly and severally liable for the cost of transport, treatment and care of the animal.

(8) If the owner and the accused do not have the means to furnish the bond, the magistrate shall direct the local authority to undertake the costs involved and recover the same as arrears of land revenue.

6. **Abandoned animal.**— (1) In case where the investigating officer files a report that prima facie offence under the Act has been made out but he is unable to determine the accused or the owner of the animal, then the magistrate shall direct the local authority to undertake the costs involved and it shall be deemed that the owner has relinquished the ownership of the animal.

(2) The relinquishment of ownership shall have no effect on any criminal charges against the unknown offender or the owner.

7. **Voluntary relinquishment.**— Nothing in these rules shall be construed to prevent the voluntary and permanent relinquishment of any animal by the owner who is the accused, to infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala in lieu of executing a bond but the voluntary and permanent relinquishment shall have no effect on any criminal charges against the accused or owner.

8. **Status of animal upon disposal of litigation.**— (1) If the accused is convicted, or pleads guilty, the magistrate shall deprive him of the ownership of animal and forfeit the seized animal to the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala already having custody for proper adoption or other disposition.

(2) If the accused is found not guilty of all charges, the seized animal shall be returned to the accused or owner of the animal and the unused portion of any bond amount executed shall be returned to the person who executed the bond.

(9) **Process of adoption or other disposition.**— (1) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala having custody of the animal during the litigation or post litigation may euthanize the animal in its custody as per section 13 of the Act.

(2) Where the animal has been forfeited to the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala after conviction, abandonment or voluntary relinquishment, as the case may be, the animal shall be put up for adoption.

(3) A person who has been charged under the Act or any cattle preservation law made by the State Government shall be prohibited from adopting animals from the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala.

(4) The infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala prior to giving the animal for adoption shall,—

- (a) in case of cattle, take an undertaking in form of an affidavit that the animals are adopted for agriculture purposes and not for slaughter, and verify that the person adopting the animal is an agriculturist by seeing the relevant revenue document;
- (b) in case of draught and pack animals, take an undertaking in the form of an affidavit that the animals are adopted for draught and pack purposes and not for slaughter;
- (c) in case of dogs and cats, ensure that the animal is spayed or neutered before adoption;
- (d) keep a record of name and address of the person adopting the animal and procure an identity proof and address proof of the person adopting the animal;
- (e) obtain from the person adopting the animal a declaration in the form of an affidavit that he shall not alienate the animal up to six months from the date of adoption and shall abide by the rules for transport framed under the Act or any other law for the time being in force and shall get regular veterinary checkup done for the animal.

(5) The person adopting the animal shall—

- (a) not sell the animal;
- (b) not abandon the animal;
- (c) follow the State cattle protection and preservation law;
- (d) not sacrifice the animal for any religious purpose;
- (e) not sell the cattle to a person outside the State without permission as per the State cattle protection and preservation law.

(6) Where a cattle or a draught and pack animal has been adopted, before its removal from the premises of the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, the proof of adoption shall be issued in five copies, out of which first copy shall be handed over to person adopting the animal, second copy to infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, third copy to tehsil office of the residence of person adopting the animal, fourth copy to the Chief Veterinary Officer, Office of District of person adopting the animal and last copy shall be sent to the court to be filed in the case file.

(7) The adoption of animal shall not create an irrevocable right to the person adopting the animal, and the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, may from time to time inspect the animal and in case it finds that the person who has adopted the animal is not providing sufficient care or it has reasons to believe that an offence under the Act or any cattle preservation law is anticipated, then the infirmary, pinjrapole, SPCA, Animal Welfare Organisation or Gaushala, as the case may be, shall take possession of the animal.

(8) The person adopting the animal shall only be the lawful guardian of the animal and shall not have any rights bestowed generally to an owner of the animal, but shall have the duty to take all responsible measures to ensure the well being of such animal and to prevent infliction upon such animal of unnecessary pain or suffering.

[F. No. 1/1/2016-AWD]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.